परियोजना-10

एकल कला प्रदर्शनी की परियोजना

(सरकार के पत्र संख्याः भाषा-क(3)10/80, दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा अनुमोदित)

1 उद्देश्य :

1 प्रदेश के कलाकारों को बढ़ावा देना।
2 कला का प्रचार-प्रसार करना ।

2 प्रक्रिया :

1 कलाकार विभाग को प्रार्थना पत्र देगा जिसमें कला प्रदर्शनी लगाने के लिए अनुरोध होगा ।
2 कलाकार अपनी दो सर्वोत्तम कलाकृतियां अनुरोध वाले प्रार्थना पत्र के साथ, विभाग के अधिकारियों को दिखायेगा ।
3 कलाकृतियां को स्तरीय पाये जाने पर कला प्रदर्शनी लगाई जायेगी ।
4 प्रदर्शनी तभी लगाई जाएगी जब कलाकार के पास कम से कम सोलह कृतियां हों और वह उन्हें प्रदर्शित करना चाहता हो ।

3 धन राशि :

1 विभाग कलाकृतियों के लाने का खर्च वहन करेगा ।
2 कलाकृतियों को वापस ले लाने का खर्च कलाकार स्वयं वहन करेगा परन्तु, कारणवश, कोई कलाकार इन्हें वापस न ले जा सके तो निदेशक, भाषा एवं संस्कृति उन्हें वापस ले लाने के लिए धन राशि देने में सक्षम होंगे ।
3 हर एकल कला प्रदर्शनी में अकादमी कृतियों की खरीद हेतु कुछ धन राशि रखेगा ।